

बर व  
काम  
की ल  
जारी

दिनांक व कम	राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रा.वि. सं.4568/2015 मोडाराम वगैरा बनाम: भगाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दिनांक 18.05.2017 पक्षकार उपस्थित। यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प अटल सेवा केन्द्र-कोलीवाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत मामले में वाद-विषयक स्थिति अनुसार एवं पटवारी हल्का कोलीवाडा की रिपोर्ट अनुसार सरहद मौजा जाखोडा पटवार सर्कल कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 380/2048 रकबा 1.64 हेक्टर के बारे में इस न्यायालय में अन्य विचारण प्रकरण राजस्व विविध सं. 491/2013 मोहनलाल वगैरा बनाम: भगाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.09.2013 के अनुसार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 380/2048 रकबा 1.64 हेक्टर से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की स्थिति को आगामी आदेश तक यथावत् बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो रखी है जो आदिनांक तक प्रभावशील है। चूंकि इस विधिक स्थिति के तहत प्रथमतः प्रश्नगत मामले में तथाकथित वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पुनः अन्तरिम या अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस पत्रावली की आगामी कार्यवाही को ड्रॉप किया जाता है।</p> <p>यह आदेश बरोज आज दिनांक 18.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प-कोलीवाडा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो व संबंधित मूल वाद पत्रावली के साथ नष्ट हो।</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p>



**उपखण्ड अधिकारी**  
सुमेरपुर (पाली)